259
04.02.17

आदेश

उप जिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 16 उजनवरी, 2017 के आधार पर जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट अर्न्तगत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधुरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 4.860 है0 की दुगनी अवनत भूमि 9.720 है0 जो ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4319 रकवा 22.313 है0 मध्ये रकवा 9.720 है0 जो श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(।।)/2012–18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1051/X–4–16/ 1(340) 2016 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 में दी गयी शर्तो के अधीन उक्त वर्णित 9.720 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर

संख्या –111 / छब्बीस वन /2016–17 दिनांक 23/01 / 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग ,बागेश्वर।

2–अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट।

3–उपजिलाधिकारी,कपकोट।

4–तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

RNo-259/ 25 दि0-04.2.17

~~प्रतिलिपि~~ श्री राहुल आर्या, सहा0अभि0 IV को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण ख0 लो0 नि0 वि0
कपकोट

अधि0 अभि0
3/2/17

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या– 108/र०का०/व०भू०ह०/2016–17/दिनांक 31 जनवरी,2017

250
252
01.2.17

ा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

बागेश्वर।

षय :– *जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट अन्तर्गत शामा से रमाड़ी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधुरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 4.860 है० की दुगुनी अवनत भूमि 9.720 है0 भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के सम्बन्ध में।*

होदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के आदेश संख्या–11/छब्बीस वन/ 2016–17 ,दिनांक 23/01/2017 के अनुपालन में ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र दियाकोट तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के माईशी खेत नम्बर 4319 रकवा 22.313 हैक्टेयर, मध्ये 9.720 हैक्टेयर, श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में र्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :– (01) जिलाधिकारी, महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल अवलोकनार्थ प्रेषित।
(02) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट को मय खतौनी नकल प्रेषित।

R.No-252/250 दि०-1.2.17
प्रतिलिपि श्री राहुल आर्य, स० अभि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तहसीलदार
कपकोट।

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण ... लो० नि० वि०
कपकोट

ग्राम-खड़ियाकोट क्षेत्र-खड़ियाकोट तह०-कपकोट जि०-बागेश्वर,

श्रेणी - 9(3) ख

	खातेदार का नाम	फसली सन्	खेत नम्बर	रकबा	लगान	विवरण
10.	जंगल	१३७४ फ० [illegible]	९४८ ९४९ ९४७५ ९४७६ — क्रमशः — ४३१८ ४३२० ४३२१ क्रमशः — ८३०२ ८३०३ ८३०४ ८३०५	५॥ २३९ ३६०॥ ९०७॥ ११९५॥२ ३६५॥२ ३६५।२ ५ ३ ॥२ २		जिलाधिकारी बागेश्वर के कोर्ट सं. 111/छत्तीस वन/2016-17 दिनांक 23-01-2017 के आदेश/ शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र सं. 883/X-1/16/1(275)/2016 दिनांक 12 अगस्त 2016 में दी गयी शर्तों के अधीन ग्राम-खड़ियाकोट के कै० [illegible] खाता सं. 110 के बेनाप भूमि खेत नं. 4319 रकबा 22.313 है० मध्ये रकबा 1.720 है० जो श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को [illegible] मार्ग निर्माण किये जाने हेतु वन विभाग/ लो०नि०वि० के पक्ष में हस्तान्तरण/ नामान्तरण किया Bhule (हस्ताक्षर)
		योग:-	३७८	५४०४९२		

मसौदा, तैयार किया,

(हस्ताक्षर) 31.1.17

प्रतिहस्ताक्षरित

(हस्ताक्षर) तहसीलदार कपकोट

फोटो प्रति सत्यापित

(हस्ताक्षर)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट